**XXXIX(a)BR(H)-11**

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 420–दो / 14 जिला – अशोकनगर

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 10-7-14 | प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, अशोकनगर द्वारा प्रकरण कमांक 09 / सी–129 / 2012–13 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 23–1–14 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 ( जिसे आगे संहिता कहा जायेगा ) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।<br>2– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रकरण की प्रचलनशीलता के संबंध में दिए गए तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया साथ ही अनावेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 अशोकनगर के प्रकरण कमांक 104ए / 13 ई.दी. में पारित आदेश दिनांक 11–2–13 की छाया प्रति प्रतिलिपि का परिशीलन किया । विचारोपरांत यह पाया जाता है कि चूंकि अनुविभागीय अधिकारी, अशोकनगर के समक्ष इन्द्राज दुरस्ती का दावा प्रचलित है एवं अनुविभागीय अधिकारी ने अभी अंतिम आदेश पारित नहीं किया है । अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष सुनवाई के दौरान उभयपक्ष को अपना–अपना पक्ष रखने एवं बचाव प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा । ऐसी स्थिति में अनावेदक की ओर से प्रचलनशीलता के संबंध में प्रस्तुत आपत्ति स्वीकार करते हुए यह निगरानी इसी स्तर पर समाप्त की जाती है ।<br>3– उभयपक्ष सूचित हों । आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जाये प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो ।<br>सदस्य | |